न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः– श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

(33)

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1739–एक/2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 06–04–2016 के द्वारा न्यायालय तहसीलदार सिहोरा जिला जबलपुर के प्रकरण कमांक 65 /अ–12/2015–16.

....

श्रीमती बबीता बाई उर्फ बबली पत्नी
श्री सुदामा प्रसाद काछी निवासी वार्ड
कमांक 17 खितौला तहसील सिहौरा
जिला जबलपुर म0 प्र0

––– आवेदिका

विरूद्ध

1–सुरेश कुमार वल्द शिवप्रसाद राय
निवासी वार्ड कमांक–17 खितौला
पान उमरिया रोड सिहौरा तहसील व
जिला जबलपुर म0 प्र0
2–श्री शारदा सर्वे एण्ड कंस्ट्रक्शन वर्क
जबलपुर टी0एस0एम0 मशीन सिहोरा
जबलपुर म0 प्र0

––– अनावेदकगण

....

श्री ए0 के0 नायक, अभिभाषक, आवेदक
श्री सुरेश राय अनावेदक कमांक–1 स्वयं

....

आदेश

(आज दिनांक 12/10/18 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील सिहौरा जिला जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–04–2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक–1 सुरेश कुमार राय पिता शिवप्रसाद निवासी खितौला तहसील सिहोरा जिला जबलपुर के द्वारा तहसीलदार सिहौरा को आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम खितोला पटवारी हल्का कमांक–05 में स्थित भूमि खसरा कमांक 272/1, 273/2, 273/1, 272/2, 272/3, 273/12, 272/4, 273/13, रकवा कमशः 0.039, 0. 013, 0.052, 0.052, 0.052, 0.053, कुल रकबा 0.209 हैक्टेयर भूमि का सीमांकन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार द्वारा श्री शारदा सर्वे एण्ड कंस्ट्रक्शन वर्क जबलपुर टी0 एस0 एम0 मशीन सिहोरा से सीमांकन कराने हेतु दिनांक 23.2.16 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार के आदेशानुसार श्री शारदा सर्वे एण्ड कंस्ट्रक्शन वर्क जबलपुर टी0 एस0 एम0 मशीन सिहोरा द्वारा सीमांकन की जाकर तहसीलदार सिहौरा को अपना सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। जिससे दुखित होकर आवेदिका द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक के अधिवक्ता एवं अनावेदक कमांक–1 द्वारा अपनी–अपनी लिखित बहस प्रस्तुत की गई। लिखित बहस की प्रति एक दूसरे को आदान प्रदान की गई। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी लिखित बहस के साथ सीमांकन बीडियो की सीडी भी संलग्न की गई है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस में यह मुददा भी उठाया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय अथवा सीमांकन के संबंध में ना तो इश्तहार किया गया है ना ही चौहद्दी का कास्तकारों को कोई लिखित मौखिक सूचना भी नहीं दी गई जो सूचना गैर निगरनीकर्ता कमांक –2 द्वारा बनाई गई है किस तारीख, माह, सन, को जारी की गई है। उनके द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि सूचना पत्र में दिनांक 23.2.16 के पालन में दिनांक 3.2.16 को सीमांकन होना है स्पष्ट सूचना पत्र पर छटबी एवं सातवी लाईन पर स्पष्ट लिखा हे जो संपूर्ण प्रकरण के घेरे में ला खड़ा करता है, साथ ही दिनांक 3.2.16 को कोई सीमांकन की कार्यवाही नहीं की गई है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

4–प्रकरण में प्रस्तुत द्विपक्षों की लेखी बहस का अवलोकन किया गया तथा प्रकरण में सलग्न अभिलेख का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि प्रतिवेदन में खसरा कमांक 272 के पश्चिमी सीमा रेखा की तरफ 171 वर्गफुट भू–भाग पर सुदामा काछी द्वारा (होटल)

जलपान ग्रह बनाकर अतिक्रमण किया गया, खसरा क्रमांक 272 के उत्तर पश्चिमी कोने पर 233 वर्गफुट भू–भाग पर खम्परिया जी द्वारा बाऊन्ड्रीबॉल बनाकर अतिक्रमण किया गये का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क में यह बल मिलता है जो प्रकरण के पृष्ठ क्रमांक 29 पर सूचना पत्र संलग्न है, उस सूचना पत्र में दिनांक 23.2.16 के पालन में दिनांक 3.2.16 को सीमांकन होना है। सूचना पत्र पर छटवी एवं सातवी लाईन पर स्पष्ट लिखा है जो संपूर्ण प्रकरण के घेरे में ला खड़ा करता है, साथ ही दिनांक 3.2.16 को कोई सीमांकन की कार्यवाही नहीं की गई है। इससे यह स्पष्ट है कि आवेदक को सूचना पत्र जारी किया गया है उसमें सीमांकन कराने का दिनांक 3.2.16 गलत अंकित किया गया है। इससे यह नहीं माना जा सकता है कि आवेदक को सूचना हुई हो। ''म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129 – समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक का सीमांकन अपने हित के संरक्षण के लिए समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक का स्वामी उचित पक्षकार है। 1995 (2) म0प्र0 वीक्ली नोट्स 58 तथा 1992 (1) म0प्र0 वीक्ली नोट्स 159 (उच्चतम न्यायालय) अवलंबित।''इसी प्रकार 1998 आर एन 106 (उच्च न्याया0) में यह न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि – ''सीमांकन हितबद्ध पक्षकार की उपस्थिति में किया जाना चाहिए।''स्पष्ट है कि सीमांकित भूमि का सरहदी कृषक प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार होता है। इसके अतिरिक्त 2008 आर एन 218 गजराज सिंह विरूद्ध रामसिंह (उच्च न्यायालय) में निम्नलिखित न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किये गये हैं – ''म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129 – सीमांकन– विवादित सर्वेक्षण संख्यांक की पूर्णतया माप नहीं की गई–– निकट के सर्वेक्षण संख्यांक की माप नहीं की गई––कोई पैमाना प्रयुक्त नहीं किया गया––एक–भी साक्षी नामित नहीं––पटवारी द्वारा भूलें की गई और स्वीकार की गई––ऐसा सीमांकन स्वीकार नहीं किया जा सकता जिसमें दूसरा पक्ष सूचित भी नहीं किया गया हो।'' 1988 आर एन 105 में इस न्यायालय द्वारा भी यही अभिमत व्यक्त किया गया है कि सीमांकन लगी हुई भूमि के भूमिस्वामी को सूचना किए बिना नहीं किया जा सकता। इसलिये तहसीलदार का आदेश दिनांक 6.4.16 त्रुटिपूर्ण आदेश होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5–उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील सिहोरा जिला जबलपुर के प्रकरण कमांक 65 /अ–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 6.4.16 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार तहसील सिहोरा जिला जबलपुर को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आवेदक को सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुनः आदेश पारित करें।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर